केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/27 दिनांक: 04.02.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00020
CICOM/R/2018/01212

अपीलकर्ता : श्री रोशन लाल नाविक,
कमल पैलेस, घंटाघर चौक,
बहराइच, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 04.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.01.2019, 18.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री एस. एस. रोहिला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	38/28.01.2019 (7909/24.01.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 27.06.2017 की द्वितीय अपील की सुनवाई से संबंधित तीन बिंदुओं सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध द्वितीय अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन्हें प्राप्त सूचना अपूर्ण है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 12.12.2018 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 21.12.2018को प्राप्त हुआ तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया गया । श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 04.01.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2018/01212/CR-1 के माध्यम से अपीलकर्ता को उनकी द्वितीय अपील की डायरी सं. एवं द्वितीय अपील संख्या का उल्लेख करते हुए पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन दूसरे जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित कर दिया गया । दूसरे जन सूचना अधिकारी श्री एस. एस. रोहिला द्वारा अपीलकर्ता दिनांक 18.01.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/01212/SB के माध्यम से प्रेषित की गई, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.01.2018 को ही प्रथम अपील दाखिल कर दी गई है । श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है । **श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

Initials
D. NO
04 FEB 2019
RECEIVED
C.I.C./के० सू० आ०

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

4/2/19